न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी :: ओ0 पी0 बिश्नोई, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 01/2019

सायल		गैर सायल
सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक, जिला जैसलमेर	बनाम	विशनाराम पुत्र मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम भवानीपुरा पोकरण जिला जैसलमेर

उपस्थिति :-

1. सहायक लोक अभियोजक, द्वितीय सायल की ओर से।
2. श्री नवीन पुरोहित, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

इस्तगासा अर्न्तगत धारा- 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम-1975

:: आदेश :: दिनांकः-26.11.2019

1. पुलिस अधीक्षक,जैसलमेर ने गैर सायल विशनाराम के विरूद्व धारा-3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के तहत इस्तगासा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार-बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षैत्र व जिला क्षैत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी विशनाराम पुत्र मांगीलाल भील उम्र 32 साल निवासी भवानीपुरा पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) विशनाराम पुत्र मांगीलाल भील उम्र 32 साल निवासी भवानीपुरा पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। अतः इस्तगासा हाजा वरखिलाफ अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) विशनाराम पुत्र मांगीलाल भील उम्र 32 साल निवासी भवानीपुरा पोकरण जिला जैसलमेर के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु सेवामें प्रेषित है। गैरसायल के विरूद्व निम्नाकिंत मुकदमें पुलिस थाना,जैसलमेर में दर्ज हुए है:-

1. दिनांक 30.04.2015 को श्री प्रयागसिंह सउनि मय जाब्ता द्वारा मुखवीर की सुचना पर कस्बा भवानीपुरा पोकरण मे मुल्जिम विशनाराम को जुआ की पर्चीया काटते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 110 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 89 दिनांक 30.04.2015 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्व चार्जशीट संख्या 35 दिनांक 30.04.2015 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19.06.2015 को मुल्जिम विशनाराम को 50 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner

2. दिनांक 26.03.2016 को श्री तेजमालसिंह उनि मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा गांधी चौक सदर बाजार पोकरण मे मुल्जिम विशनाराम को जुआ की पर्चीया काटते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 180 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 41 दिनांक 26.03.2016 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्व चार्जशीट संख्या 30 दिनांक 21.04.2016 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.06.2016 को मुल्जिम विशनाराम को 50 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

3. दिनांक 11.12.2017 को श्री कृष्णकुमार हैड कानिस्टेबल संख्या 79 मय जाब्ता द्वारा मुखबीर की सुचना पर कस्बा रोडवेज बस स्टैण्ड पोकरण मे मुल्जिम विशनाराम को जुआ की पर्चीया काटते हुवे को मय जुआ की नगद राशि 140 रूपये मय जुआ आशयाय के रंगे हाथे दस्तायाब कर जुआ सामग्री बरामद कर गिरफतार कर मुकदमा संख्या 237 दिनांक 11.12.2017 धारा 13 आरपीजीओ पुलिस थाना पोकरण मे दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान मुल्जिम के विरुद्व चार्जशीट संख्या 129 दिनांक 19.12.2017 कता की जाकर पेश अदालत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2017 को मुल्जिम विशनाराम को 200 रूपये अर्थदण्ड के जुर्माना से दण्डित किया गया है।

इस प्रकार गैरसायल आले दर्जे का जुआरी है, जो पर्चीयों पर खाईवाल कर बार–बार जुआ खेलने का अभ्यस्त अपराधी हो गया है तथा यह शख्स भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 के केन्द्रिय नियम 45) के अध्याय 16 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने का अभ्यस्त है। इस शख्स की वारदातों से थाना क्षैत्र व जिला क्षैत्र की जनता पर सम्पति संत्रास खतरा है तथा पुलिस थाना पोकरण व जिला की भोली भाली जनता व गरीब जनता को गलत आचरणों में फंसा कर नियमित अपराध कारित करता जा रहा है। जिसका बिना प्रतिभूति के स्वच्छंद रहना समाज के लिये परी संकटमय है। अपराधी विशनाराम पुत्र मांगीलाल भील उम्र 32 साल निवासी भवानीपुरा पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर द्वारा उक्त सभी प्रकरणों में श्रीमान् अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पोकरण द्वारा दण्डित किया गया है। उक्त शख्स का ऐसे दुस्साहसपूर्ण अपराधों में अभ्यस्त होने से जनता में भय पैदा हो गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना पोकरण द्वारा उक्त अपराधी पर निगरानी रखी जा रही है तथा थाना के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निगरानी व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अभ्यस्त अपराधी (गुण्डा) श्री विशनाराम पुत्र मांगीलाल भील उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम भवानीपुरा पोकरण पुलिस थाना, पोकरण जिला जैसलमेर का उक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के प्रावधानों की परिधि में आता है। उपरोक्त हालातों में गैरसायल की गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिये इस्तगासा हाजा बरखिलाफ गैरसायल विशनाराम भील अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को गुण्डा घोशित कर जिला जैसलमेर से निश्कासित किया जावे।

2. गैरसायल उपस्थित हुआ व हाजरी मुचलका प्रस्तुत किया व नोटिस अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही व अपना जबाब दिनांक 03.10.2019 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रथम दृश्टया मामला उक्त धारा का नहीं बनने से नोटिस की कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे एवम् गैरसायल श्री विशनाराम के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर की रिपोर्ट अनुसार अंतिम प्रकरण संख्या 237 दिनांक 11.12.2017 को पुलिस थाना, पोकरण द्वारा की गई थी जिसका न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को निस्तारण हो गया था। वर्तमान में लगभग गत दो वर्ष में कोई भी आपराधिक प्रकरण श्री विशनाराम के विरूद्व दर्ज नही हुआ है तथा आपके द्वारा दिये गये नोटिस में दिनांक 03.09.2019 के हिसाब से श्री विशनाराम पर गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही नही हो सकती ऐसा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये माफिक निर्णय में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस जारी होने की तारीख से तुरंत छः माह की अवधि में किसी आपराधिक कार्यवाही मे संलिप्त नही है तो उस पर नोटिस की कार्यवाही चलने योग्य नही है तथा वह गुण्डा की परिभाषा में नही आता है यह निर्णय राणाराम बनाम राज0 राज्य व अन्य 2002 (4) RLW 2184 राज0 में अपनाची गयी है। श्री विशनाराम पिछले दो वर्षो से सभ्य नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहा है तथा उसके द्वारा न तो किसी के साथ IPC के अध्याय 16 के अधीन नही जनता को गुब्बा खाईवाली में पैसो का लालच देकर गैर कानूनी कृत्य किया गया जो कि आपके द्वारा दिये नोटिस के पूर्वोक्त खण्ड क, ख, ग के बारे में सारवान आरोप में से कोई भी अपराध वर्तमान में छः माह की अवधि में नही किया गया है। अतः श्रीमान् जी से

Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner

निवेदन है कि नोटिस की कार्यवाही के संबंध में श्री विशनाराम के विरूद्व आदेश जारी नही कर के इस्तगासा गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत नही आने से सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज करने का अनुरोध किया ।

3. सहायक लोक अभियोजक ने बहस में बताया कि आरपीजीओ में गैर सायल को तीन बार सजा हो चुकी है। अतः उक्त गैरसायल को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गुण्डा घोषित व जिले से निष्कासित करने के पर्याप्त सबूत उपलब्ध होने के कारण उसे जिले से निष्कासित किया जावे। इसके विपरीत गैरसायल के वकील ने बताया कि गैरसायल के विरूद्व झूठे मुकदमें बनाये गये है तथा गैरसायल श्री विशनाराम पर धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के तुरन्त पूर्व गैरसायल ने धारा 2 (ख) (अ) के विरूद्व गत छः माह के भीतर किसी भी थाने में किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नहीं है तथा न ही विचाराधीन है अतः सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे।

4. उभय पक्षो की बहस सुनी गई व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं गैर सायल के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित जबाब का अवलोकन एवं अध्ययन किये जाने पर गैर सायल विशनाराम पुत्र मांगीलाल जाति भील निवासी ग्राम भवानीपुरा पोकरण के विरूद्व अंतिम प्रकरण एवं अंतिम अपराधिक प्रकरण दिनांक 11.12.2017 को दर्ज होना पाया गया है। तत्पश्चात गत डेढ साल पहले तक कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होना नही पाया गया है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियत्रंण अधिनियम, 1975 की धारा 3(3) के तहत छः माह में गैर सायल विशनाराम भील के विरूद्व अपराधिक प्रकरण दर्ज नही होने से उक्त अधिनियम के तहत गैरसायल विशनाराम भील के विरूद्व कार्यवाही की जानी उचित प्रतित नही होने से सायल द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर, पुलिस थाना, पोकरण व गैर सायल को दी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर
Addl. DISTRICT MAGISTRATE
JAISALMER

Scanned by CamScanner